

प्रेम

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
तत्पुत्र सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 तहसील केन्द्र,
प्रगति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2002

विषय:- आर्केडियन पब्लिक स्कूल, बाजना मुरा की सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली
से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि आर्केडियन पब्लिक स्कूल, बाजना मुरा की सी०बी०एस०ई० नई-
दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने से इस राज्य सरकार की
निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सलाहपत्री का संग्रह-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नियमित रूप से बैठक
होना।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के
बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे 5050 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा
संयोजित विद्यालयों में प्रतिभिनन कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक
शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा
परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक
शिक्षा परिषद/कोसिल प्राप्त है तो आर्केडियन स्कूल तहसील केन्द्र बाजना मुरा
नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उस केन्द्रीय
परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 5050 माध्यमिक शिक्षा
परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

151. संस्था शिक्षक एवं शिक्षणत्तर कर्मचारियों को राज्यीय सहयोग प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
161. कर्मचारियों की सेवाएं पूर्ण बन चुकी जायेंगी और उन्हें सहयोग प्राप्त अनुसंधानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।
171. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनको पालन करेगी ।
181. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृत आदेशों के अनुसार जायेगा ।
191. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिलिपि को पालन करने संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाय कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिलिपि को पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्धि स्थिति बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

राम सुन्दर अग्निहोत्री
मुख्य सचिव

पृष्ठ- 6024 11/15-7-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्य सूचनार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
 - 2- मंडलीय संपुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा ।
 - 4- निरीक्षक, अंग्रेजी भूरातीय विद्यालय 30प्र0, लखनऊ ।
 - 5- प्रबंधक, आर्गेडियन पब्लिक स्कूल बाजना, मथुरा ।
 - 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा सु,

अग्निहोत्री चन्द्र गुप्त
अनु सचिव